भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 394
मंगलवार, 5 दिसंबर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ एमसीएस का सुदृढ़ीकरण

394. श्री रविन्द्र कुशवाहाः

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सेन्ट्रल ऑफ एमसीएस के कार्यालय को सुदृढ़ करने की दिशा में कोई कार्रवाई शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त के सुदृढ़ीकरण के लिए की गई ऐसी कार्रवाई से एमसीएस के सदस्यों को क्या लाभ होने की संभावना है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) एवं (ख): जी हां, मान्यवर । सरकार ने सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) के कार्यालय को सशक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) मौजूदा कानून के अनुसमर्थन द्वारा और सत्तानवा संविधान संशोधन के उपबंधों की अंतर्विष्ट करके बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण**,** पारदर्शिता वृद्धि**,** जवाबदेही में बढ़ोतरी और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार**,** इत्यादि हेतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) (संशोधन) अधिनियम और नियम, 2023 को क्रमश: दिनांक 03.08.2023 और दिनांक 04.08.2023 को अधिसूचित किया गया है ।

(ii) बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए एक संपूर्ण डिजिटल परितंत्र प्रदान करने हेतु दिनांक 06.08.2023 को सीआरसीएस कार्यालय के लिए एक एकीकृत वेब पोर्टल www.crcs.gov.in शुरू किया गया है, जिसमें बहुराज्य सहकारी समितियों के पंजीकरण, उपविधियों में संशोधन, वार्षिक विवरणी दाखिल करने, शाखा खोलने, विक्रय अधिकारी की नियुक्ति, अपील, निरीक्षण, जांच, परिसमापन, सहकारी शिक्षा निधि का प्रबंधन, सहकारी पुनर्वास/पुनर्रचना और विकास निधि, निर्वाचन, आदि शामिल हैं । इससे बहुराज्य सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के लिए 'सुगम व्यवसाय' और पारदर्शिता में सुधार होगा क्योंकि ये सभी प्रक्रियाएं डिजिटल और कागज रहित हैं।

(iii) स्थान की कमी को दूर करने और समग्र कार्यकुशला में वृद्धि हेत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में सीआरसीएस का एक पृथक अत्याधुनिक कार्यालय स्थापित किया जा रहा है ।

(iv) सीआरसीएस कार्यालय के सशक्तिकरण के लिए 32 तकनीकी और 31 अन्य सहायक स्टाफ सहित कुल 63 पद सृजित किए गए हैं । तकनीकी पदों के भर्ती नियमों को दिनांक 01.09.2023 को अधिसूचित किया गया और 5 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा चुका है ।

(ग): उपर्युक्त पहलों से बहुराज्य सहकारी समितियों के बीच सहकारी आंदोलन सशक्त होगा और शासन में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने, संपरीक्षण प्रक्रिया को मजबूत करने, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने, सदस्यों की शिकायतों का समयबद्ध निवारण, नियामक कमियों को पूरा करने और सीआरसीएस कार्यालय द्वारा मजबूत निगरानी से इसके सदस्य लाभान्वित होंगे ।

*****